छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार,दिनांक 16 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 25,1948)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025 पटल पर रखेंगे।

(2) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, समाज कल्याण मंत्री, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025–2026 पटल पर रखेंगी।

(3) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10–64/2009/खाद्य/29–2, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025–26 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में प्रधानमंत्री सड़क योजना/मुख्यमंत्री सड़क योजना से निर्मित सड़कें जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य, बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक सदस्य, प्रदेश में संचालित औद्योगिक कारखानों में सुरक्षा व्यवस्था की उपेक्षा से जनहानियां होने ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(4) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य मे संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों में इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, जिला कोरिया में स्थानीय व्यक्तियों की निर्मम हत्या किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था एवं डॉक्टरों की कमी होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, सदस्य, प्रदेश में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक और प्रबंधन कार्य में कमी होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास)का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बदहाल होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य,ग्राम दर्री (कल्याणपुर) स्थित डोलोमाइट खदान में पर्यावरणीय एवं खनन नियमों का उल्लंघन तथा जलाशय पर अतिक्रमण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, बलौदा वन परिक्षेत्र के जंगलों में वृक्षों की अवैध कटाई व अतिक्रमण एवं वन्य प्राणियों के अवैध शिकार किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री लखेश्वर बघेल , सदस्य, बस्तर संभागान्तर्गत संचालित शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यसंचालन की दयनीय स्थिति होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, जिला बस्तर में बंदोबस्त विभाग के द्वारा सीमांकन कार्य के डिजिटलीकरण में त्रुटि किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री मोतीलाल साहू, सदस्य, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर के एक्सप्रेस रोड़ पर अमलीडीह क्षेत्र में सर्विस रोड़ निर्माण नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्री रोहित साहू, सदस्य, जिला गरियाबंद में स्थित हीरा खदान, पाइपलाइन एवं प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा में लापरवाही किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(16) श्री राजेश मूणत सदस्य,रायपुर शहर के मास्टर प्लान में अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री राजेश मूणत, सदस्य, रायपुर नगर अंतर्गत स्थित तालाबों का भू उपयोग परिवर्तन कर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, घटोई डैम प्रभावितों को मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, आर.के.एम. पॉवर जेन द्वारा किसान की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, जल जीवन मिशन योजना का लाभ क्षेत्र वासियों को नहीं मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई में निजी कंपनी द्वारा भूमि का अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री रिकेश सेन, सदस्य, दुर्ग जिला अंतर्गत जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड द्वारा भवन अनुज्ञा प्राप्त किये बिना अवैध निर्माण कार्य किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री भूपेश बघेल, सदस्य, सीमेंट प्रभावित ग्राम पंचायतों को देय सीमा कर वसूली के नियमों का प्रशासन द्वारा पालन नहीं कराये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री भूपेश बघेल, सदस्य धमतरी के ग्राम जैतपुरी (बेलरगांव–सिहावा) में पीढ़ियों से काबिज आदिवासियों पर वन विभाग द्वारा झूठे केस दर्ज कराये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सदस्य विकासखण्ड बरमकेला के बड़े नवापारा में निजी गोदाम में खाद बीज भण्डारण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(26) श्रीमती शेषराज हरबंश, श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य प्रदेश में पैथालॉजी लैब जांच निजी संस्था को को देने कि ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य सक्ती जिले के अंतर्गत नगर पंचायत डभरा में गौरव पथ रोड निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

क्रमशः 4

(29) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य रायगढ़ जिले में विद्युत विभाग भंडारण से स्क्रैप की बिक्री में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य जिला बालोद के तुएगोंदी (जामड़ीपाट) क्षेत्र में वनाधिकार पट्टा वितरण में हो रही अनियमितताओं की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(31) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य जिला जांजगीर–चांपा में कोटवारी भूमि की बिक्री एवं नामांतरण किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य तथा समय पर भुगतान प्राप्त नहीं होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(33) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य विभिन्न जल परियोजनाओं में मोबिलाइजेशन एडवांस की संपूर्ण राशि पर ब्याज नहीं लिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(34) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य डोंगरगढ़ नगर पालिका को जाति प्रमाण–पत्र जारी करने में कठिनाई होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(35) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों में अग्नि एवं भवन सुरक्षा मानकों का पालन एवं सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(36) श्री इंद्र साव, सदस्य, प्रदेश के शासकीय जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होने की ओर लोक स्थास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) श्री इंद्र साव, सदस्य, प्रदेश में बिजली बिल दर में वृद्धि होने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) श्री संदीप साहू, सदस्य, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के ग्राम संडी में नकली शराब निर्माण किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) सर्वश्री भोलाराम साहू, कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समितियों में डी.ए.पी. खाद की कमी होने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(40) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, जिला बालोद अंतर्गत मॉडल ऑगनबाड़ी के निर्माण में वित्तीय अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(41) डॉ. चरण दास महंत, सदस्य, जी. पी. एम. जिले के कोटमीकला साप्ताहिक बाजार में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 5

(42) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, थाना बिर्रा, जिला सक्ति अंतर्गत ग्राम करही में हुई गोलीकांड के मुख्य आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(43) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, तखतपुर क्षेत्र एवं आस–पास के ग्रामों में धारा 16 लागू होने के कारण भू–परिवर्तन (डायवर्सन) की कार्यवाही नहीं होने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(44) डॉ. चरण दास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, जल जीवन मिशन योजना में कार्य कर रही एजेंसियों को भुगतान नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिककी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(45) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, जल संसाधन संभाग दुर्ग अतंर्गत जलाशयों के जीर्णोद्धार में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(46) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य, कोटा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(47) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, राज्य की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं (108 एवं 102) के संचालन में कुप्रबंधन होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(48) श्री ओंकार साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम झूरा नवागांव में शासकीय भूमि पर स्वीकृत सीमा से अधिक रेत का भंडारण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(49) श्रीमती चातुरी नन्द, सदस्य, प्रदेश में औद्योगिक निवेश के नाम पर अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(50) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य, जिला बेमेतरा में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में अनियमितता किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(51) श्री संदीप साहू, सदस्य, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में वन्यजीव संरक्षण नियमों के उल्लंघन किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(52) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, महासमुन्द जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज में सफाई एवं सुरक्षा गार्ड (मैनपॉवर) से जुड़े मामलों में अनियमितता किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(53) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, राजनांदगांव एवं खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिलों में अवैध खनन एवं अवैध ब्लास्टिंग किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

क्रमशः 6

(54) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बोदरी (बिलासपुर) में अग्निशमन (Fire Fighting System) के संचालन एवं श्रम कानूनों के उल्लंघन तथा न्यायालय परिसर की अग्नि सुरक्षा प्रभावित होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(55) श्री इन्द्र साव, सदस्य, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा की तहसील–सिमगा के ग्राम केसदा, शासकीय भूमि को स्वदेश मेटालिक इस्पात संयंत्र को नियम विरूद्ध आबंटन किये जाने की ओर वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(56) श्री सुनील कुमार सोनी, सदस्य, फायर वाहनों की खरीदी हेतु पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि अग्निशमन विभाग को हस्तांतरित करने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(57) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, जिला बालोद के विकासखण्ड डौंडीलोहारा जनपद पंचायत क्षेत्र में डीएमएफ मद अंतर्गत ई– रिक्शा खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(58) श्रीमती कविता प्राण लहरे, सदस्य, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत एम.सी.बी.जिले में सामग्री क्रय एवं व्यय में हुई कथित अनियमितताओं पर कार्यवाही न किए जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(59) श्री उमेश पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिलांतर्गत धनवादा पॉवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा विद्युत परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(60) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत विकासखण्ड मालखरौदा स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालखरौदा में शिक्षकों की कमी होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(61) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, जिला बिलासपुर के सीपत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंथी स्थित मेसर्स बिलासपुर माइनिंग इंडस्ट्रीज (बोरा निर्माण फैक्ट्री) में श्रमिक की मृत्यु होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(62) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के लिए नजूल भूमि का पट्टा नवीनीकरण, पट्टा आवेदन प्रक्रिया के सरलीकरण एवं नजूल भूमि पर प्रीमियम एवं भू–भाटक निर्धारण हेतु बनाए गए नियम के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(63) श्रीमती विद्यावती सिदार, सदस्य, जल संसाधन में अतिरिक्त सुरक्षा निधि (ए.पी.एस.) की राशि को समयपूर्व एवं अनुचित रूप से विमुक्त किए जाने के दोषी अधिकारी को पदोन्नति दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

क्रमशः 7

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुथरेल में माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(2) श्री धरम लाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम हिंछापुरी में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम लमती में प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन करने

(iii) ग्राम घुठिया में नेजुआ नाले में एनीकट निर्माण करने,

(3) श्री भूलन सिंह मराबी, सदस्य, प्रेमनगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम रूनियांडीह में माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम भगवानपुर में उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम सूरता से श्यामपुर मार्ग में झींक नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(4) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम तुमड़ीबोर्ड से दीवानझिटीया तक पुल–पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,

(ii) ग्राम घोरदा में सी.सी. सड़क निर्माण करने,

(5) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) भोलापुर से पाण्डेटोला मार्ग निर्माण करने,

(ii) उमरवाही–जनकपुर–तलवारटोला तक मार्ग का नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण करने,

(iii) बखरूटोला में उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,

(iv) कुमरदा में विश्राम गृह निर्माण करने,

(v) ग्राम उमरवाही में पुलिस चौकी खोलने,

(6) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, जिला मुंगेली अंतर्गत ग्राम बैहाकापा में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(7) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम खड़बत्तर से बुल्लूटोला मार्ग में नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम अंडी में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(8) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम गर्रापार में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम मदनपुर से बिजनापुर मार्ग निर्माण करने,

(iii) ग्राम देवरी से कौरूआ मार्ग निर्माण करने,

(iv) ग्राम अमलीडीह में बांध की मरम्मत करने तथा

(v) ग्राम घाघरा में विद्युत लाईन विस्तार करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 8

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

30 मिनट (1) श्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री (गृह), प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक,2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (2) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक,2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा (3) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

6. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय खाद्य मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्रमांक–239) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

7. अशासकीय संकल्प

30 मिनट (1) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश में बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध और निष्पादन हेतु सख्त नियम बनाये जाये।''

30 मिनट (2) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''छत्तीसगढ़ राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये।''

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर
दिनांक 15 जुलाई, 2026